>

Title: Need to abolish the practice of child labour in the country.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, मैं एक अति गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बाल श्रम हमारे सामने एक बहुत गंभीर चुनौती है। सदन में अनेकों बार इस विषय पर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन फिर भी हालात जहां के तहां है। हम दिल्ली की बात करें तो पिछले आठ-दस दिनों के भीतर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा और देखा कि पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में एक ढाबे में काम करने वाले 14 वर्षीय बालक को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वहां की एक युवती ने साहस का परिचय देकर पुलिस चाइल्ड हैल्प लाइन को सूचना देकर उस बालक को मुक्त कराया।

इसी तरह से सीलमपुर में पांच कारखानों में छापा मारा गया और उन कारखानों से 21 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये। उन मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की उम्र 13 वर्ष से कम थी। उन बच्चों से कास्मैटिक के कारखानों और कपड़ों पर जैली करने वाले कारखानों में काम कराया जाता था। कास्मैटिक कारखानों में काम करने पर उनके हाथों और पैरों में स्किन डिसीज भी हो जाती थी और काम करने से मना करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा भी जाता था। यह देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है।

अभी कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारियां चल रही हैं और उन गेम्स की तैयारियों के दौरान हमने देखा कि रोड्स के किनारे कई स्थानों पर बागवानी का काम करते हुए, मिट्टी उठाते हुए, मिट्टी डालते हुए बाल श्रमिक नजर आ जाते हैं। यह देश की राजधानी में हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। हम कहीं भी नजर डालें, हम संसद के एक-दो किलोमीटर के अराउंड कहीं भी जाएं तो हमें बाल श्रमिक काम करते हुए नजर आ जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की राजधानी में ये हालात हैं। हमने बाल श्रम अधिनियम बनाया है। लेकिन उस अधिनियम का पालन हम ठीक ढंग से राजधानी में नहीं करा पा रहे हैं तो देश के बाकी राज्यों में क्या हालात होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार बाल श्रम को खत्म करने के लिए गंभीरता से पहल करे और बाल श्रमिकों की पहचान करके उन्हें मुक्त कराये जाने के साथ-साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए तथा संबंधित क्षेत्रों ो में जहां बाल श्रमिक पाये जाते हैं, वहां श्रम विभाग के जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्हें दंडित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं। ताकि बाल मजदूरी प्रथा देश से पूरी तरह से खत्म हो सके। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Rahman Saheb, if you have some emergent work, then I can permit you to go, but you are enhancing the glory of this House.